संचिका संख्या-21 / सू०अ०-18 / 2020 सा०प्र० 11572

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,
राज्य सरकार के सभी प्रधान सचिव, / सचिव, / विभागाध्यक्ष
आरक्षी महानिदेशक,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक,
सचिव, बिहार सूचना आयोग।

पटना–15, दिनांक 7.12.2020

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों / सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने, उन पर हमला करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में पत्रांक 12433 दिनांक 19.12.2007 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना माँगने वाले आवेदकों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के अंतर्गत फँसाने अथवा अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने से संबंधित मामलों की जाँच करायी जायेगी तथा दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर सजा दी जायेगी।

तदुपरांत विभागीय पत्रांक 9420 दिनांक 18.09.2009 द्वारा सरकारी पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे सूचना माँगने वाले व्यक्तियों का सम्मान करते हुए सूचना उपलब्ध कराने में सकारात्मक भूमिका निभायें। इसके विपरीत आचरण करने वालों को कर्तव्य की उपेक्षा करने तथा कदाचार में लिप्त होने का दोषी माना जायेगा, जिसके लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर वृहत दंड भी दिया जा सकेगा। सूचना माँगने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध झूठे आपराधिक मुकदमें दायर करने संबंधी प्राप्त शिकायत की वरीय अधिकारियों से जाँच करायी जायेगी तथा दोषी पाये गये अपराधियों के विरूद्ध गंभीरतम् अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। उक्त परिपत्र में यह निर्णय भी संसूचित किया गया है कि गृह विभाग द्वारा एक हेल्प लाइन स्थापित की जायेगी जिसका टेलीफोन नम्बर प्रेस तथा अन्य माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए इस प्रकार के झूठे मुकदमों से पीड़ित व्यक्तियों को शिकायत दर्ज करने का अवसर दिया जायेगा और उस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं/आवेदकों को प्रताड़ित किये जाने तथा उन पर हमला किये जाने के मामले अभी भी प्रकाश में आ रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित टास्क-फोर्स द्वारा की गयी अनुशंसाओं/सुझावों पर विचारोपरांत उन्हें राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जहाँ सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अथवा आवेदक को धमकाया जाता है अथवा उस पर हमला होता है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-18 के तहत राज्य सूचना आयोग में एक शिकायत वाद दायर किया जाय। राज्य सूचना आयोग इस शिकायत वाद का संज्ञान ले सकता है और इसके संबंध में आवश्यक जाँच आदि संधारित कर सकता है। अधिनियम में विहित प्रावधानों के तहत आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना माँगने के कारण दी गयी धमकी अथवा किये गये हमले को शीघ्र विज्ञापित किया जाय।

धमकी पाने वाले अथवा हमले के शिकार सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं/आवेदकों की सुरक्षा एवं इसके लिए जाँच संधारित करने के संबंध में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक अविलंब आवश्यक कार्रवाई करें। सूचना का अधिकार आवेदक पर हमले की स्थिति में आवेदक के निकट संबंधी, सिविल सोसाइटी संस्थाओं द्वारा दायर की गयी शिकायतों पर भी विचार करते हुए तत्काल कार्रवाई की जाय।

राज्य में सूचना का अधिकार के क्षेत्र में सक्रिय सिविल सोसाइटी भी सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं को मिलने वाली धमकी और हमले से संबंधित गंभीर मामलों को संज्ञान में लेते हुए इसे राज्य प्राधिकारियों एवं राज्य सूचना आयोग के समक्ष रखें, ताकि राज्य सरकार की संबंधित संस्थाओं द्वारा ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अनुरोध है कि इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(हिमांशु कुमार राय) 5.12.20
सरकार के अपर सचिव।